

न्यायालय उपजिलाधिकारी फूलपुर इलाहाबाद
 क्र. 47 धारा 143 ज.वि.0310
 अग्रवाल राजू के बाबू सोसाइटी बनाम गांव लखी
 मीजा हबीबुद्दीन बहादुर मूली इलाहाबाद
नकल निर्णय दिनांक 12-9-11

न्यायालय उप जिलाधिकारी फूलपुर, इलाहाबाद।

वाद सं०

वर्ष 2011

अग्रवाल एजुकेशन सोसाइटी 1/4 लाल राम नारायण रोड बैंक रोड इलाहाबाद।

बनाम

भांवरामा द्वारा प्रधान मीजा हबीबपुर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद।

मीजा हबीबपुर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद।

अन्तर्गत धारा 143 ज.वि.0310

निर्णय

प्रस्तुत वाद अग्रवाल एजुकेशन सोसाइटी 1/4 लाल राम नारायण रोड बैंक रोड, इलाहाबाद द्वारा अर्ख्या की जांच अग्रवाल पुत्र रवो लक्ष्मण दास अग्रवाल निवासी 1/4 बैंक रोड इलाहाबाद की द्वारा घोषित किया गया और अनुसूचित किया गया कि ग्राम हबीबपुर, परगना झूंसी स्थित आसानी सं० 52 रकबा 0.6710 हे० का वादी संलग्नीय भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि वादी ने रकूल के नाम से कृषि किया है तथा मौजों पर वादग्रही बनाकर रकूल का निर्माण कर रहा है। विवादित भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए वादग्रस्त भूमि को अर्कधिक घोषित किया जाए। पत्रावली जांच का तहसीलदार फूलपुर को भेजी गयी। तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या मय नजरी नकल के साथ प्रस्तुत हुई।

जांच अधिकारी तहसीलदार फूलपुर की आख्या का विधेवात अवलोकन किया। जांच अधिकारी तहसीलदार फूलपुर ने अपनी जांच आख्या में अवगत कराया है कि वादग्रस्त भूमि सं० 52 रकबा 0.6710 हे० स्थित ग्राम हबीबपुर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद का अधिलेखीय परीक्षण किया। वादी का नाम वादग्रस्त भूमि पर वादग्रहोदार के रूप में घोषित है। वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि वादग्रस्त भूमि पर वादग्रहीनाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका रकबा 0.6480 हे० अर्कधिक दर्ज किया जाए।

जांच अधिकारी तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या एवं पत्रावली पर तहसीलदार की 1417 रकबा का 3422 पत्रावली का उद्घरण खतौनी का भी अनुशीलन किया। जांच अधिकारी तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या एवं पत्रावली पर तहसीलदार नकल खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सं० 52 रकबा 0.6710 हे० भूमि में से रकबा 0.6480 हे० भूमि नकल के द्वारा वादग्रहीनाल का निर्माण किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि को अर्कधिक भूमि घोषित किया जाने में कोई विधिक अवलोकन नहीं है। वादग्रस्त भूमि अर्कधिक घोषित किया जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम हबीबपुर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद स्थित आसानी सं० 52 रकबा 0.6710 हे० भूमि में से रकबा 0.6480 हे० भूमि को अर्कधिक भूमि घोषित किया जाता है। परधान अगल दशमद जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-



(संशयम)

उप जिलाधिकारी फूलपुर

इलाहाबाद।

27-9-11
 27-9-11
 105'
 27/9/11

TRUE COPY
 27/9/11
 27/9/11